न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 102/19 दायरा दिनांक 23/07/2019

अनवान :

1. अंकुश पुत्र अमरीक सिंह पुत्र श्री नथा सिंह पुत्र धूमासिंह जाति रायसिख निवासी हाल पुराना वार्ड सं. 23, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
2. मु0 खुशबू पुत्री अमरीक सिंह पुत्र श्री नथा सिंह पुत्र धूमासिंह जाति रायसिख निवासी हाल पुराना वार्ड सं. 23, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।

—— **वादीगण**

ब ना म्

1. अमरीक सिंह पुत्र नथासिंह पुत्र धूमासिंह जाति रायसिख निवासी मानेवाला हाल आबाद चक 7 एफडीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
2. कृष्णा देवी तथाकथित पत्नि अमरीक सिंह जाति रायसिख निवासी मानेवाला हाल आबाद चक 7 एफडीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
3. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
4. उप–पंजीयक सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा जैतसर उपतहसील जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
6. ग्राम पंचायत फरीदसर जरिये सरपंच पंचायत समिति, सूरतगढ़।

—— **प्रतिवादीगण**

उपस्थित अधिवक्ता

1. श्री भागीरथ बिश्नोई – वादीगण
2. श्री अशोक छाबड़ा – प्रतिवादी सं. 6
3. श्री राकेश कुमार मनचन्दा – प्रतिवादी सं. 1

निर्णय **दिनांक : 04/02/2020**

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। उक्त प्रकरण वादीगण के द्वारा अन्तर्गत धारा–88, 188, 189, 92ए, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का पेश किया हुआ है। पत्रावली में कार्यवाही तलबी पर चल रही है। दिनांक 26.09.2019 को इसमें वकील प्रतिवादी संख्या–6 सरपंच ग्राम पंचायत फरीदसर पंचायत समिति सूरतगढ़ की तरफ से एक प्रार्थना–पत्र आदेश–7 नियम–11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त प्रकरण में मुझ प्रार्थी सरपंच ग्राम पंचायत फरीदसर पंचायत समिति सूरतगढ़ को प्रतिवादरी के रुप में पक्षकार बनाया हुआ है जिसमें मेरे विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी पंचायतीराज अधिनियम के तहत सरपंच की पदीय हैसियत से लोक अधिकारी की परिभाषा में आता है और पंचायतीराज अधिनियम की धारा–109 के तहत सरपंच के विरूद्ध वाद लाये जाने से पूर्व 60 दिन का नोटिस दिये जाने का आज्ञात्मक प्रावधान है। जिसकी पालना उक्त अनवान का वाद–पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व पंचायतराज अधिनियम के प्रावधानों के तहत वादीगण के द्वारा कोई सूचना मुझ प्रतिवादी को नहीं दी गई है। इसलिये वादीगण के द्वारा उक्त वर्णित अधिनियम के तहत आज्ञात्मक प्रावधानों की पालना किये बगैर ही माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त अनवान का प्रकरण मुझ प्रतिवादी के विरूद्ध विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किये होने के कारण उक्त अनवान का प्रकरण विधि विरूद्ध Barred by law होने से आदेश–7 नियम–11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित किये जावे। वकील वादीगण/अप्रार्थीगण के द्वारा अपनी तरफ से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत ना करते हुये प्रार्थना–पत्र पर सीधे बहस सुने जाने का निवेदन किये जाने पर दिनांक 20.01.2020 को विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

लगातार 2 पर

वकील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा अपनी बहस में अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश–7 नियम–11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण के द्वारा उक्त अनवान का वाद–पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा–88, 188, 189, 92ए, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का जेरवाद कृषि भूमि के सम्बन्ध में पेश किया गया है। इस वाद–पत्र की मद संख्या 17 में यह अंकन किया गया कि "ग्राम पंचायत को जरिये सरपंच बतौर प्रतिवादी सं. 6 के पक्षकार बनाया गया है कि उसके द्वारा तथाकथित गिफ्ट डीड दिनांक 12.04.2019 का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं किया जा सके" और वाद–पत्र प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में पंजीबद्ध करवाई हुई गिफ्ट डीड दिनांक 12.04.2019 का राजस्व रिकार्ड में इंतकाल करवाने हेतु दस्तावेज प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत होने पर स्वीकृत ना किये जाने का प्रतिवादी/प्रार्थी के विरूद्ध अनुतोष माननीय न्यायालय से चाहा गया है। इसके अतिरिक्त वाद–पत्र के अनुतोष की मद घ में पंजीबद्ध उक्त गिफ्ट वादीगण के हकों पर निष्प्रभावी होने से उसका राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं किये जाने व इन्तकाल दर्ज कर दिया है तो वह निष्प्रभावी माना जावे का अनुतोष चाहा गया है। जो कि वाद–पत्र का पठन से पूर्णतया साबित है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के विरूद्ध वादीगण द्वारा वाद कारण नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थी से वादीगण द्वारा कभी भी उसके कार्यालय में उपस्थित होकर कोई प्रार्थना–पत्र या मौखिक निवेदन नहीं किया गया है। ना ही अपने वाद–पत्र में इंकारी की बाबत प्रार्थी के विरूद्ध कोई तथ्य अंकित किया गया है। जो कि वाद–पत्र के पठन से साबित है। वादीगण के द्वारा प्रार्थी को उक्त वाद–पत्र में प्रतिवादी सं. 6 के रुप में पक्षकार बनाते हुये अपना यह वाद–पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी ग्राम पंचायत फरीदसर पंचायत समिति सूरतगढ़ के सरपंच पद पर पदीय हैसियत से कार्यरत है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम–1994 की धारा–109 के अनुसार किसी पंचायतराज संस्था के विरूद्ध या उसके किसी भी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध या किसी पंचायतराज संस्था या उसके किसी भी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के निर्देश के अधीन कार्य कर रहे किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध उसकी पदीय हैसियत में इस अधिनियम के अधीन की गई या किये जाने के लिये तात्पर्थित किसी भी बात के लिये कोई भी वाद या सिविल कार्यवाही से पूर्व उसे 60 दिवस का नोटिस दिये बिना नहीं की जा सकती है। यही सिद्धान्त माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान के द्वारा न्याय निर्णय प्रकाशित RRT 2012(2) पृष्ठ सं. 1271 पर प्रकाशित अनवान बलदेव सिंह बनाम् श्रीमति गुड्डी देवी व अन्य में प्रतिपादित किया है कि Provision of Sec. 109 of Rajasthan Panchayat Act are mandatory & no suit is maintainable in absence of the prior notice से पूर्णतया साबित है कि मुझ प्रतिवादी के विरूद्ध वादीगण को वाद कारण उत्पन्न ना होने व आज्ञात्मक विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना, विधि विरूद्ध मुझ प्रतिवादी को उक्त वाद पत्र में पक्षकार बनाते हुये उक्त अनवान का वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण वादीगण का वाद–पत्र निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थीगण/वादीगण के द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि हमारे द्वारा यह वाद–पत्र प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध मुख्य रुप से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जेरवाद भूमि हमारे दादा की भूमि है जिसमें हिन्दू विधि के अनुसार हमारा जन्म से अधिकार है जिसको प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा अकेले अपने नाम से रिकार्ड में अंकित करवा लिया है और दिनांक 12.04.2019 को 1.8473 हैक्टयर खातेदारी भूमि को गिफ्ट डीड द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के नाम से पंजीबद्ध दस्तावेज द्वारा हस्तान्तरित कर दिया है। जो हमारे अधिकारों पर निष्प्रभावी है। इसी दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी सं. 6 से इंतकाल तस्दीक करवाकर प्रतिवादी सं. 2 रिकार्ड में भूमि का अंकन करवाया जा सकता है। हमारे द्वारा प्रतिवादी से किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रतिवादी सं. 6 ग्राम पंचायत फरीदसर का सरपंच है जो कि एक लोक अधिकारी की परिभाषा में नहीं आता है। यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है ना कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत पेश किया है। इसलिये यह राज0 पंचायतीराज अधिनियम यहां पर लागू नहीं होता है। सरपंच द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक के कार्य निजी संविदा के तौर पर किया जाता है। सरपंच द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक का कार्य भू–राजस्व अधिनियम के तहत किया जाता है जो नामान्तरकरण को तस्दीक करने के अधिकार प्रदत है वे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना पारित कर तहसीलदार के अधिकार उसे दिये गये है। इसलिये धारा–109 राज0 पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते है। सरपंच उक्त प्रकरण में आवश्यक

लगातार 3 पर

पक्षकार नहीं है। यही सिद्धान्त न्याय निर्णय RBJ 1998 P. No. 487 अनवान माधो सिंह बनाम् श्रीमति खामा कंवर में राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। आदेश–7 नियम–11 सी.पी.सी. के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किये जाते समय इसमें अंकित बिन्दु ए से एफ तक ही देखे जायेंगे केवल वाद–पत्र में अंकित कथनों को ही देखा जावेगा। प्रतिवादीगण के द्वारा अभी जवाबदावा ही पेश नहीं किया गया। इनके द्वारा अपने जवाबदावा पेशकर इसमें आपत्ति लाकर तनकी कायम करवाकर उसका निस्तारण करवाया जा सकता है। पत्रावली में कार्यवाही अभी प्रारम्भिक स्तर तलबी पर ही चल रही है। प्रतिवादी द्वारा केवल मात्र विलम्ब करने की गर्ज से अपना प्रार्थना–पत्र पेश किया है। जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। यही सिद्धान्त न्याय निर्णय RBJ-2016 P. No. 23 अनवान पानी व अन्य बनाम् मांगीलाल व अन्य में राज0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया हुआ है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पर मनन करते हुये पत्रावली का ध्यानपूर्वक गहनता से अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा अपना यह वाद–पत्र अन्तर्गत धारा–88, 188, 189, 92ए, 207 व 209 राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रतिवादी सं. 1 के नाम से चक 4 MNWM की जमाबन्दी सं. 2068 ता 2071 की खाता सं. 52/59 में 2.328 है0 खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं. 1 और उसके भाईयों सुरेन्द्र सिंह – मलकीत सिंह – मलकीत सिंह के नाम से इंतकाल सं. 214 दिनांक 20.07.2015 वसीयत द्वारा ब0हि0ब0 व इसी उक्त चक की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 2071 की खाता सं. 20/21 में इ. सं. 210 दिनांक 20.05.2015 वसीयत द्वारा प. नं. 107/331(5) कि. नं. 1 ता 10 = 2.530 है0 खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं. 1 और उसके भाईयों सुरेन्द्र सिंह – मलकीत सिंह – रविन्द्र सिंह – बलविन्द्र सिंह के नाम से ब0हि0ब0 व प. नं. 108/335(24) = 1.696 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं. 1 सुरेन्द्र सिंह – मलकीत सिंह – अमरीक सिंह के नाम से ब0हि0ब0 अंकित है। जो वादीगण द्वारा वाद–पत्र के साथ पेश की गई जमाबन्दीयों से साबित हैं वादीगण उक्त वर्णित दोनों खातों में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से वसीयत द्वारा अंकित भूमि को पैतृक भूमि बताते हुए अपने हिस्सा की घोषणा करवाने का वाद पेश किया हुआ है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने हिस्सा की भूमि को प्रतिवादी सं. 2 के नाम से दिनांक 12.04.2019 को पंजीबद्ध करवाये दस्तावेज उपहार संलेख को शून्य एवं अपने हको पर निष्प्रभावी बताया गया है। इस पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में अंकन ना किये जाने के लिये प्रतिवादी सं. 6/प्रार्थी को अपने वाद–पत्र में पक्षकार ग्राम पंचायत फरीदसर जरिये उपसरंपच पंचायत समिति, सूरतगढ़ के पक्षकार बनाते हुये वाद–पत्र की मद सं. 17 में व अनुतोष में इनके विरूद्ध याचना की गई है। प्रतिवादी सं. 6 से वादीगण कब मिले कब इंकारी हुई और इनके विरूद्ध कब वाद कारण उत्पन्न हुआ यह वाद–पत्र के पठन से कतई साबित नहीं होता है। वाद कारण तभी उत्पन्न होता है जब दूसरे पक्षकार द्वारा किसी प्रकार से कोई इंकारी की जावे। यही सिद्धान्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्याय निर्णय प्रकाशित C.J. Civil 2016(2) Rashtriya Ispat Nigam Ltd. V/s Prathyusha Resources & Infra Pvt. Ltd. में प्रतिपादित किया गया है कि Order 7 Rule 1(e) C.P.C. – Cause of action – when does arise? When the real dispute arise, i.e. when one party asserts and other party denies any right (Para 5) प्रतिवादी सं. 6/प्रार्थी राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम–1994 के तहत एक ग्राम पंचायत का सदस्य होता है। इस अधिनियम की धारा–109 के तहत किसी पंचायतीराज संस्था के विरूद्ध या उसके किसी भी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध या किसी पंचायतराज संस्था या उसके किसी भी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के निर्देश के अधीन कार्य कर रहे किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध उसकी पदीय हैसियत में इस अधिनियम के अधीन की गई या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी भी बात के लिये कोई भी वाद या अन्य सिविल कार्यवाही के लिये दो माह का पूर्व में नोटिस दिये जाने का प्रावधान है। प्रथम तो सरपंच राज0 पंचायतराज अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही नियुक्त किया जाता है। इसके पश्चात ही उसके द्वारा भू–राजस्व अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसलिये इसके विरूद्ध निषेधाज्ञा के अनुतोष का वाद व स्थगन प्रार्थना–पत्र लाये जाने से पूर्व इन्हें उक्त अधिनियम के तहत नोटिस दिये जाने का आज्ञात्मक प्रावधान है। यही सिद्धान्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा

लगातार 4 पर

प्रकाशित न्याय निर्णय RRT 2012(2) पृष्ठ सं. 1271 अनवान बलदेव सिंह बनाम् श्रीमति गुड्डी देवी व अन्य में Provision of Sec. 109 Raj. Panchayat Act are mandatory & no suit is maintainable in absence of the prior notice का प्रतिपादित किया गया है। जो इस प्रकरण में पूर्णतया लागू होता है। वादीगण द्वारा वाद–पत्र अभी प्रारम्भिक तलबी की कार्यवाही की स्थिति में होने, जवाबदावा पेश ना किया होने और जवाबदावा पेश होने के पश्चात आपत्तियों पर तनकी कायम करवाकर निर्णय किये जाने का कथन जो अपनी बहस में किया गया है उससे हम सहमत नहीं है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपने न्याय निर्णय प्रकाशित C.J. Civil 2016(3) पृष्ठ सं. 762 पर प्रकाशित अनवान आर. के. रोजा बनाम् यू. एस. रायूदू व अन्य में C.P.C. Order 7 Rule 11 – Scope – Application can be filed at any stage of suit (Para 5) में प्रतिपादित किया हुआ है। इसके अतिरिक्त राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अपने न्याय निर्णय प्रकाशित C.J. Civil 2017(1) पृष्ठ सं. 1 पर प्रकाशित अनवान लक्ष्मीनारायण शर्मा बनाम् श्रीमति राजश्री खण्डेलवाल व अन्य में C.P.C. – Order 7 Rule 11 – Scope – Application should be decided first and only then proceed with the suit (Para 12) में प्रतिपादित किया हुआ है। इसलिये बिना जवाब लिये प्रार्थना–पत्र का पहले निस्तारण किया जाना आवश्यक है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय RBJ 1998 पृष्ठ सं. 487 माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर व RBJ 2016 पृष्ठ सं. 23 माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकरण से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते है। क्योंकि प्रथम न्याय निर्णय में ग्राम पंचायत स्वयं द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र जिसका उन्हें विधिक रुप से अधिकार नहीं था के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत किया गया था। इस नामान्तरण की अपील में सरपंच ग्राम पंचायत व भू–धारक को पक्षकार नहीं बनाया गया था। इसलिये इसमें इन्हें अपील में आवश्यक पक्षकार ना बनाये जाने के आधार पर अपील निरस्त ना किये जाने और निर्णय गुण–दोष पर पारित किये जाने के आदेश पारित किये गये थे द्वितीय न्याय निर्णय में वाद–पत्र में अंकित कथनों को ही देखा जाना चाहिये ना कि जवाबदावा में अंकित कथनों के आधार पर निर्णित किये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार से उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण को प्रतिवादी सं. 6 के विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न ना होने और उसे उसकी पदीय हैसियत से पक्षकार बनाकर बिना पूर्व में दो माह का नोटिस दिये जाने के राज0 पंचायतीराज अधिनियम की धारा–109 के तहत आज्ञात्मक प्रावधानों की पालना ना करते हुये वादीगण द्वारा व स्थगन प्रार्थना–पत्र विधि विरूद्ध Prarred by Law प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रतिवादी सं. 6 का प्रार्थना–पत्र आदेश–7 नियम–11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वाद–पत्र व स्थगन प्रार्थना–पत्र सं. 68/19 अनवान अंकुश आदि बनाम् अमरीक सिंह आदि निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आदेश–7 नियम–11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद–पत्र निरस्त किये जाने और प्रतिवादी सं. 6/प्रार्थी के द्वारा अपना प्रार्थना–पत्र आदेश–7 नियम 11 सी.पी.सी. स्थगन प्रार्थना–पत्र सं. 68/19 में भी पेश किया हुआ है। जिसे इस वाद–पत्र में इस प्रार्थना–पत्र के साथ निर्णित करते हुये इसमें दिनांक 26.07.2019 को एकतरफा जारी स्थगन आदेश को निरस्त कर प्रार्थना–पत्र आदेश–7 नियम–11 सी.पी.सी. को भी स्वीकार कर स्थगन प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। इस निर्णय की एक प्रमाणित प्रति को उक्त स्थगन प्रार्थना–पत्र की पत्रावली में संलग्न की जावे। वाद निरस्ती की अलग से डिक्री जारी की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

आज दिनांक 04.02.2020 को मेरे द्वारा यह निर्णय खुले न्यायालय में पक्षकारान के अधिवक्तागण की उपस्थिति में सुनाया गया।

04-02-2020

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।

डिक्री बमुकददम इब्तदाई (अन्तिम डिक्री)

(आ0 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास :– श्री मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :

1. अंकुश पुत्र अमरीक सिंह पुत्र श्री नथा सिंह पुत्र धूमासिंह जाति रायसिख निवासी हाल पुराना वार्ड सं. 23, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
2. मु0 खुशबू पुत्री अमरीक सिंह पुत्र श्री नथा सिंह पुत्र धूमासिंह जाति रायसिख निवासी हाल पुराना वार्ड सं. 23, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।

—— **वादीगण**

ब ना म्

1. अमरीक सिंह पुत्र नथासिंह पुत्र धूमासिंह जाति रायसिख निवासी मानेवाला हाल आबाद चक 7 एफडीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
2. कृष्णा देवी तथाकथित पत्नि अमरीक सिंह जाति रायसिख निवासी मानेवाला हाल आबाद चक 7 एफडीएम तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
3. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
4. उप–पंजीयक सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा जैतसर उपतहसील जैतसर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
6. ग्राम पंचायत फरीदसर जरिये सरपंच पंचायत समिति, सूरतगढ़।

—— **प्रतिवादीगण**

यह मुकदमा संख्या 102/2019 आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादीगण श्री भागीरथ बिश्नोई, श्री अशोक छाबड़ा, वकील प्रतिवादी सं. 6 व श्री राकेश कुमार मनचन्दा, वकील प्रतिवादी सं. 1 के पेश होने पर यह वाद अंतर्गत धारा–88, 188, 189, 92ए, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश–7 नियम–11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रतिवादी सं. 6/प्रार्थी दिनांक 26.09.2019 को स्वीकार करते हुए हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

प्रतिवादी सं. 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश–7 नियम–11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण निरस्त किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान द्वारा अपना–अपना वहन किया जायेगा।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×..... आज की तरीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 04/02/2020 को जारी की गई।

04-02-2020

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.19 17:11:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: